

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं का
अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2023

भाग—एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एच0एस0जी0-4(डी)1-1/922 दिनांक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेंक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन हि0प्र0 के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 का अंकेंक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेंक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा हिमुडा मण्डल परवाणू के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि
1.	श्री राजेश ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता	01.04.2022 से 31.05.2022
2.	श्री गिरीश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	06.06.2022 से 31.03.2023

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 के अंकेंक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	प्राप्त आय को अनियमित रूप से हस्तगत रखना	4	0.15 से 2.15
2 (ii)	विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अग्रिमों का गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6(क)	40.87
3 (i)	अग्रिमों की राशि का क्रेडिट शेष पाया जाना	6	20.53

4	विभिन्न आवास बस्तियों व सरकारी विभागों के रख-रखाव प्रभार व जल प्रभार की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8(क, ख) व 9 (क)	1484.43
5	संविदाकार द्वारा एम् फार्म प्रस्तुत न करने पर भी रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण अनियमित अधिक भुगतान	12 (2) (क)	7.91
		12 (4) (ख)	0.03
6	Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना व्यय करना।	14	4025.49
7	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में अधिक व्यय करना	15	455.04
8	संबन्धित विभागों में सेंट्रल.जी.एस.टी., स्टेट.जी.एस.टी., आयकर, लेबर सेस और रॉयल्टी जमा न करना	17 (1)	120.27
9	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर अधिक व्यय	18	77.27
10	श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद पर नियुक्ति उपरांत नियमितिकरण पर गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान करना	20(1)	3.38
11	ऊना उपमंडल के अधीन 17.59 किंटल सरिये स्टोर में गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपयुक्त दर्शाया जाना	21(1)	0.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट-1** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1984 से 03/2022 तक मण्डल से सम्बन्धित **103** पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1984-85	1	(निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित)
2	1991-92	3	(निर्माण मण्डल शिमला-2 से स्थानांतरित)
3	1995-96	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
4	2008-09	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
5	2013-14	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
6	2014-15	4	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
7	2015-16	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
8	2016-17	6	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
9	2017-18	8	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
10	2018-19	18	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
11	2019-20	19	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)

12	2020-21 व 2021-22	38	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
	कुल पैरे	103	

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री बृजिन्दर मोहन पुरी, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) तथा सर्वश्री पवन कुमार, राकेश कुमार, बानिश कुमार एवं विशाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 05.09.2022 से 02.11.2023 से तक हिमुडा मण्डल के परवाणू स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/2023 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 04/2022 से 03/2023 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि को जमा करवाने हेतु निदेशालय, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 रोकड बही अनुसार प्राप्त आय ₹0.14 लाख से ₹2.15 लाख को अनियमित रूप से हस्तगत रखना:—

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू राशि को बैंक खाते में दैनिक आधार पर जमा नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है। अंकेक्षण अवधि के दौरान मास के अन्त में हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :—

Name of Month	Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month)	Cash Book Page No.
04/2022	32151.20	197
05/2022	34675.20	77
06/2022	14757.20	22
07/2022	33855.20	112
08/2022	32282.20	57
09/2022	215134.20	163
10/2022	51900.20	91
11/2022	72987.20	187
12/2022	30670.20	118
ट 01/2023	62330.20	003
२ 02/2023	27389.20	143
३ 03/2023	70963.20	33

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 22.09.2023 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी

निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों व बैंक समाधान विवरणी का विवरण दिनांक 31.03.2023 को निम्न अनुसार था

Statement showing the detail of Bank accounts as well as Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2023 of HIMUDA Division Parwanoo, Distt. Solan H.P.	
(1) UCO Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 09870200000397	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4723055.53
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	4736113.53
Difference	13058.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022 "A"	4723055.53
Add: Ch. No 003427 dated 20.03.23 but not Debited till 31.3.2023	5000.00
Add: Ch. No 003436 dated 27.03.23 but not Debited till 31.3.2023	8058.00
Sub total "B"	13058.00
Balance as per as bank Pass Book as on 31.3.2023 "A" + "B"	4736113.53
(2) AXIS Bank, Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 919020012448839	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6478572.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6208147.00
Difference	270425.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023 "A"	6478572.00
Less: Ch. No311489 deposited on 08-02-2022 but not credited till 31.3.2023 (Cr. On 21.06.23)	77748.00
Less: Ch No 310890 deposited on 09-03-2022 but not credited till 31.3.2023 (Cr. On 21.06.23)	192677.00
Sub total "B"	270425.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023 "A" (-) "B"	
(3) SBI Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/c No. 10300041135	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6400512.98
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6386912.98
Difference	13600.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6400512.98
Less: DD No. 908729 dated 28.12.2021 but not credited 31.3.2023	13600.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	6386912.98
(4) HDFC Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 50100005120699	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	6274302.17
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	6274302.17
Difference	0.00

(5) ICICI Bank Kalka Shimla Road, Sector-1, Distt. Solan A/C No. 373601000177	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	619227.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	619227.00
Difference	0.00
(6) Parwanoo Urban Co-op Bank, Distt. Solan H.P. A/C No 10220100000835	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4488136.20
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	4729523.20
Difference	241387.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	4488136.20
Add: Ch. No. 136657 dated 31.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	232857.00
Add: Ch. No. 136656 dated 27.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	3780.00
Add: Ch. No. 136639 dated 07.03.23 issued but not debited upto 31.03.23	4750.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	4729523.20
(7) Bank of Baroda Parwanoo, Distt. Solan H.P. Current A/C No. 12800200007574 Account opened on 04.08.2022	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	12459360.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	12459360.00
Difference	0.00
(8) IndusInd Bank Solan, Distt. Solan H.P. A/C No. 251772623004	
Particular	Amount
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	15916.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	15916.00
Difference	0.00
(9) Bank of Baroda Parwanoo, Distt. Solan H.P. Saving A/C No. 12800100016710	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	11628801.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	11628801.00
Difference	0.00
(10) Punjab National Bank, Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 2912000101205799 Account opened on 13.09.2022	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	8473688.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2023	8464515.00
Difference	9173.00
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2023	8473688.00
Less: DD No. 552161 dated 23.11.2022 but not credited 31.3.2023 deposited on 30.11.2022	9173.00

Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2023	8464515.00
Consolidated position is as under :	
Cash in hand (i)	70963.20
Overall bank balance in all bank accounts i.e. Sr. No. 1 to 10 above (ii)	61561570.88
Total (i) & (ii)	61632534.08

उक्त बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 10300041135, परवाणू में माह दिसम्बर, 2021 के दौरान जारी जमा किये गये डिमांड ड्राफ्ट ₹13600/- (DD No. 908729 dated 28.12.2021) को लगभग दो वर्ष (अर्थात् अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक) के समय व्यतीत हाने के पश्चात् भी बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था जबकि वहीं दूसरी ओर PNB, Parwanoo Account No. 2912000101205799 में जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट DD No. 552161 dated 23.11.2022 for ₹9173 को लगभग एक वर्ष (अर्थात् अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक) के समय व्यतीत हाने के पश्चात् भी बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था जो कि बैंक के स्तर पर लापरवाही को दर्शाता है तथा ऐसी स्थिति में संस्था के स्तर पर बैंक के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला से शिकायत कर मामले का शीघ्र निपटारा कर अंतिम अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। साथ ही भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सजग रहने का सुझाव भी दिया जाता है।

(ख) Indusind Bank बैंक खाते को बिना किसी लेन देन के गत कई वर्षों से जारी रखना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा Indusind Bank बैंक में संचालित बैंक खाता संख्या **251772623004** में गत कई वर्षों से कोई भी लेन-देन नहीं किया गया था। साथ ही यह खाता उक्त बैंक की सोलन शाखा में खोले जाने के कारण भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 22.09.2023 द्वारा इस खाते को बंद करने का सुझाव दिया गया, जिस पर संस्था द्वारा कार्रवाई करते हुए मामला बैंक से उठाने बारे तो सूचित किया गया परन्तु खाता बंद कर शेष राशि को अन्य खाते में हस्तांतरित करने बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गयी। अतः इस में संबंध में अंतिम कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 विविध अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत ₹278.75 लाख (Dr.) तथा 20.53 लाख (Cr.) की राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार विविध अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2023 को ₹27875111.19(Dr.) तथा ₹2052923.32 (Cr.) के अग्रिम समायोजन हेतु शेष पाए गये जिसके संबंध में विस्तृत चर्चा निम्न उप-अनुच्छेदों में की गयी है :

Sr. No.	Particulars	Dr. (₹)	Cr. (₹)	Remarks
1	Misc. Advances where there has been no change in position since last audit	4087307.19	1214908.32	Pending for adjustment for last 4 to 13 years
2	Other Misc. Advances outstanding for adjustment wherein advances were granted / adjustments or both were made during audit period.	23787804.00	838015.00	
	Total	27875111.19	2052923.32	

(क) विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹40.87 लाख का गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष पाया जाना:-

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में दिनांक 31.3.2023 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹4087307.19 के विविध अग्रिम गत 4 से 13 वर्षों से समायोजन हेतु शेष थे तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इनके समायोजन हेतु मंडल स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी थी जबकि अंकेक्षण द्वारा इस संबंध में लगातार आपत्ति उठाई गयी है। इन अग्रिमों का विवरण परिशिष्ट-1 (क) में दिया गया है।

(ख) विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹12.15 लाख का कुछ लेखा शीर्षों/खातों में गत कई वर्षों से निरन्तर एक समान राशि का ही Credit शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2023 को निम्न वर्णित लेखा शीर्षों/खातों में ₹1214908.32 का Credit शेष दर्शाया गया था तथा उपरोक्त उप-पैरा (क) में वर्णित प्रसंगों की भांति इन लेखों की स्थिति भी गत कई वर्षों से यथावत थी :

Miscellaneous Advances where there is Credit Balance as on 31.03.2023 and there has been no change in position during the year 2022-23.				
Sr. No.	Name of Party/Person	Ledger III Page.	Credit Balance of Advance	Remarks
1.	Sh. Ranjeet Singh Tube well Nalagarh	86	4000.00	As Opening Balance
2.	Sh. Virender Sharma	87	7809.00	As Opening Balance
3.	M/S All Grace Developer Pvt. Ltd.	94	333.00	As Opening Balance
4.	Sh. Vishal Sharma	142	600000.00	As Opening Balance
5.	Sh. Shiv Kumar Kaplia	158	160000.00	As Opening Balance
6.	M/S Tata Iron & Steel Corp. Chandigarh	210	2334.22	As Opening Balance
7.	M/S Poanta Electric Store Poanta Sahib	228	539.00	As Opening Balance

8.	M/S Indian Iron and Steel Coop. Ltd.	232	27035.10	As Opening Balance
9.	Area Manager HIMFED Solan H.P	244	345784.00	As Opening Balance
10.	Area Manager HIMFED Nahan	252	65022.00	As Opening Balance
11.	M/S HPSCSC Ltd. Nalagarh	313	2052.00	As Opening Balance
		Total	1214908.32	

उपरोक्त विविध अग्रिम अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत वर्णित खातों का क्रेडिट शेष सम्बन्धित से की गई अधिक वसूली का प्रतीक है जोकि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता तथा ऐसी स्थिति में मंडलीय स्तर पर लेखों में त्रुटियों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में उपयुक्त छानबीन उपरान्त नियमानुसार कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 'विविध अग्रिम शीर्ष' के अंतर्गत अन्य अग्रिम जिनमें अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत कुछ समायोजन तो किये गये थे दिनांक 31.03.2023 को ₹237.87 **(Dr.)** लाख तथा ₹8.38 **(Cr.)** लाख शेष पाए गये जिनकी विस्तृत स्थिति निम्न तालिका अनुसार है :

Other Miscellaneous Advances outstanding as on 31.03.2023 wherein amounts were also debited/credited during the audit period						
Sr. No.	Name of Party/Person	Opening Balance (Dr/Cr)	Advance during the year (Dr)	Total (Dr/Cr)	Adjustment during the year	Closing Balance
1	Sh. N.K Tuli	1100 Cr	15500000	15498900 Dr	3500000	11998900.00
2	Sh. Pardeep Kumar	34666 Dr	1100000	1134666 Dr	1100000	34666.00
3	Sh. Suresh Kumar	2499718 Dr.	1250000	3749718 Dr	2500000	1249718.00
4	Sh. Pawan Kumar	154 Dr	1000000	1000154 Dr	1000000	154.00
5	Sh. Narinder Singh Chauhan	1280000 Dr	3700000	4980000 Dr	4180000	800000.00
6	M/S Tarlok Chand & Company	100000 Dr	431467	531467 Dr	0	531467.00
7	Sh. Neeraj Katnoria	1000000 Cr	500000	950000 Dr	0	950000.00
8	Sh. Mehar Chand	0	743400	743400 Dr	0	743400.00
9	Sh. Des Raj	500000 Dr	940000	1440000 Dr	0	1440000.00
10	Sh. Shiv Kumar Hakam	1050000 Dr	0	1050000 Dr	250000	800000.00
11	Sh. Kulvinder Singh	0	6000000	6000000 Dr	4500000	1500000.00

12	Smt. Priya Thakur	75000 Dr	78000	153000 Dr	0	153000.00
13	Sh. Krishan Kumar	1000000 Dr	1100000	2100000 Dr	1800000	300000.00
14	Devinder Kumar	0	700000	700000 Dr	0	700000.00
15	M/S Tenzin Construction	0	480000	480000 Dr	0	480000.00
16	Salson Steel Pvt. Ltd.	0	0	0.00	838015	838015 Cr.
17	R/F M.D HPSCSC Ltd Shimla	3342277 Dr	1750803	5093080 Dr	2986581	2106499.00
				Total	22654596	Dr. 23787804
						Cr. 838015

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 09.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ में लाई गई जिसके सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) संविदाकारों को प्रदान किये गए अग्रिम के समायोजन / नियंत्रण के संबंध में अनियमिततायें :

(1) अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हिमुडा के अपने निर्माण कार्य "PSFS at Kamli Road, Parwanoo (Sub-head: C/o 8 No. 2BHK & 32 No. Cat. IV Flats)" के विरुद्ध मंडल कार्यालय द्वारा श्री होशियार सिंह, संविदाकार को Voucher No. 70 Dated 09.03.2023 CBP-14 Ledger-III Page-112 द्वारा प्रदत्त ₹15,00,000 के अग्रिम की प्रविष्टि संबंधित संविदाकार के Contractor Ledger में दर्ज नहीं पाई गयी जो कि अनियमित है। ऐसी स्थिति में संविदाकार से अग्रिम की राशि की यथासमय वसूली न किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इस ओर मंडल कार्यालय स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।

(2) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा Misc. Ledger Account L-III-Page-89 के अनुसार श्री प्रदीप कुमार, संविदाकार के नाम ₹34666 की अग्रिम राशि वसूली योग्य लंबित दर्शाई गई थी जबकि उनको आबंटित निर्माण कार्य : A/R & M/O of Road at Kalujhanda (Sh:- Metalling & Tarring of Road during the year 21-22 के विरुद्ध अंतिम भुगतान उन्हें देय राशि में से ₹11,00,000 के अग्रिम की वसूली करने के उपरांत Vr. No. 43 Dated 06.03.2023 द्वारा कर दिया गया तथा उपरोक्त अग्रिम वसूली हेतु लंबित रह गया। वही उनसे प्राप्त प्रतिभूति राशि ₹2,23,317 का भुगतान भी उन्हें Voucher No. 41 Dated 04.03.2023 द्वारा अंतिम बिल की अदायगी से पूर्व ही किया जा चुका था जो कि अनियमित है। क्योंकि श्री प्रदीप कुमार, संविदाकार के नाम ₹34666 की अग्रिम राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लंबित थी तथा Ledger II at Page 641 अनुसार ₹36164 की राशि भी उनके नाम के प्रतिभूति खाते में उनको देय दर्शाई गई थी अर्थात इस खाते का क्रेडिट शेष था उक्त

असमायोजित अग्रिम व प्रतिभूति लेखे श्री प्रदीप कुमार, नाम के किसी ओर संविदाकार से संबंधित होने की संभावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 22 दिनांक 26.10.2023 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अथवा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्था के ध्यानार्थ लायी गई थी तथा संस्था को तिथिवार 'कांटेक्टर एडवांस कंट्रोल रजिस्टर' प्रारम्भ करने तथा उसके माध्यम से ही हर एक अग्रिम प्रदान करने तथा उसकी वसूली को मॉनिटर करने का सुझाव भी दिया गया था ताकि उपरोक्त प्रकरणों जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। परिणामस्वरूप संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही 'कांटेक्टर एडवांस कंट्रोल रजिस्टर' के माध्यम से अग्रिम निर्गमन का कार्य तो प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु उक्त उप-पैरो (1) व (2) के संबंध में कोई भी कार्रवाई बारे सूचित नहीं किया गया। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये क्योंकि केवल संविदाकार के नाम से खोले गये 'विविध अग्रिम लेखे' से ही अग्रिम नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं पाई गई।

7 ₹1.99 लाख के 'स्टाफ अग्रिम' वसूली / समायोजन हेतु शेष :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 'स्टाफ अग्रिम शीर्ष' के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि में किये गये समायोजन उपरांत दिनांक 31.03.2023 को ₹1.99 (Dr.) लाख तथा ₹259 (Cr.) शेष पाए गये जिनकी विस्तृत स्थिति निम्न तालिका अनुसार है। इन अग्रिमों का नियमानुसार यथासमय समायोजन सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। साथ ही क्रम संख्या 3 में वर्णित प्रसंग में संबंधित से की गई अधिक वसूली को मूल अभिलेख की पुनः सत्यापन उपरांत उन्हें राशि वापिस कर लेखों में उचित समायोजन कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :

Staff Advance outstanding as on 31.03.2023						
Sr. No.	Name of Party/Person	Opening Balance (Dr/Cr)	Advance during the year (Dr)	Total	Adjustment during the year	Closing Balance
1	Sh. Vipen Kumar (A.E)	0	690000	690000	630951	59049
2	Sh. Manoj Kumar (A.E)	9 Dr	110000	110009	94987	15022
3	Sh. Basant Thakur (J.E)	259 Cr	0	259 Cr	0	259 Cr.
4	Sh. Virinder Singh (J.E)	0	20000	20000	0	20000
5	Sh. Rajesh Chauhan (A.E)	0	945000	945000	870000	75000
6	B.R. Raghuvanshi (A.E)	0	280000	280000	250337	29663
					1846275	Dr. 198734
	Total:-					Cr. 259

8 रख-रखाव प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं :-

(क) विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार ₹1181.69 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल परवाणू के रख-रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि परिशिष्ट-1 (ख) अनुसार विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.3.2023 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹11,81,69,245/- की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्वतः ही स्पष्ट है।

क्र०सं०	आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.3.2022 को वसूली योग्य राशि (आंकड़े गत प्रतिवेदन अनुसार)	दिनांक 31.3.2023 को वसूली योग्य राशि	परिशिष्ट का सन्दर्भ
1.	Maintenance Charges Parwanoo	1253950	1045929	1 (ख)
2	Maintenance Charges Kamli	262346	309475	
3	Maintenance Charges Khadeen	1106184	1582292	
4	Maintenance Charges Baddi	11993868	10945005	1 (ख)
5	Maintenance Charges Nalagarh	1127278	1267172	
6	Maintenance Charges Mandhala	11537305	15355079	1 (ख)
7	Maintenance Charges Kalujhanda	63325082	80467427	
8	Maintenance Charges Una	24056990	6916676	1 (ख)
9	Maintenance Charges Bangana	258173	280190	
	Total	114921176	118169245	

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रख-रखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को चर्चा के दौरान आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों से रख-रखाव प्रभार ₹207.53 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सब-डिविजन ऊना के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 (ख) अनुसार दिनांक 31.03.2023 को सरकारी विभागों से “रख-रखाव प्रभार” शीर्ष के अन्तर्गत **₹2,07,52,600 /-** ही वसूली हेतु शेष थी जिसका सारांश निम्न तालिका अनुसार है:-

Name of Department	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2022	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2023	Remarks
PWD	550758	875977	No receipt during the year
IPH	17300991	19851791	No receipt till date
BMO Basdehra	-----	24832	
	Total	20752600	

अंकेक्षण के दौरान उक्त प्रसंगों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि “रख-रखाव प्रभार” शीर्ष के अंतर्गत सरकारी विभागों से प्राप्ति योग्य राशि में से ₹1,98,51,791 की एक बड़ी राशि केवल ‘सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग’ अब ‘जल शक्ति विभाग’ से ही देय है तथा इस विभाग की ओर से आज तक हिमुडा मंडल, परवाणू को इस सन्दर्भ में कोई भी अदायगी नहीं की गई है जबकि लोक निर्माण विभाग से भी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत भी कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार रख-रखाव प्रभार की वसूली न करने के कारण हिमुडा मंडल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा उक्त अनियमितता संस्था के ध्यानार्थ लाई गई तथा इस संबंध में मामला प्रदेश सरकार से उठाने का सुझाव भी दिया गया जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई बारे आश्वस्त किया गया। अतः संस्था के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु समुचित कार्रवाई के उद्देश्य से यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ग) रख-रखाव प्रभार पर आय की तुलना में ₹42.31 लाख का अधिक व्यय करना

निर्माण मण्डल परवाणू की विभिन्न रख-रखाव आवास बस्तियों की आय और व्यय की तुलनात्मक समीक्षा करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के रख-रखाव पर आय से अधिक व्यय किया गया था जिसे तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार हिमुडा जैसी Commercial Organization में इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है।

HIMUDA Div. Parwanoo	Income Received during the Year 2022-23	Expenditure during the year 2022-23	Excess of Expenditure over income (Rs.)
Maintenance Charges Parwanoo	0.00	698682.00	698682.00
Maintenance Charges Khaden	61650.00	120186.00	58536.00
Maintenance Charges Mandhala (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 20000)	2886231.00	5243387.00	2357156.00
Maintenance Charges Una (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 10000)	2883284.00	3556000.00	672716.00
Maintenance Charges Bangana (I/c Sewerage Connection charges of Rs. 1000)	434559.00	878968.00	444409.00
Total	6234724.00	10497223.00	4231499.00

उक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इन बस्तियों के रख-रखाव का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके।

9 जल-प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल प्रभार ₹95.21 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से **परिशिष्ट-“1 (ख)”** अनुसार दिनांक 31-3-2023 तक निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार जल प्रभार की **₹95,21,409** की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसमें गत वर्ष की तुलना में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है उसके पश्चात भी स्थिति संतोषजनक प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह मूल रूप से केवल उप-मंडल, परवाणू के प्रयासों का परिणाम है जबकि अन्य उप-मंडलों ने इस प्रकरण में कुछ बेहतर कार्य नहीं किया है।

List of Outstanding Water Charges of HIMUDA, Parwanoo				
Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount outstanding as on 31.03.2022 (as per previous Audit Report)	Amount outstanding as on 31.03.2023	परिशिष्ट का सन्दर्भ
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	20,31,506	4,41,478	1 (ख)
2	Water Supply Scheme Baddi Sub-Division	48,55,211	60,56,439	1 (ख)
	Water Supply Scheme Nalagarh	1,92,795	1,96,303	
3	Water Supply Scheme Kalujhanda	15,53,176	15,53,176	1 (ख)
4	Water Supply Scheme Mandhala	3,26,518	3,08,523	
5	Water Supply Scheme Una	7,74,360	8,79,112	1 (ख)
6	Water Supply Scheme Bangana	82,576	86,378	
Total		98,16,142	95,21,409	

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई जल प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि मंडल के अधीन परवाणू उप-मंडल द्वारा इस संबंध में सराहनीय कार्य किया गया है। अतः परवाणू उप-मंडल की तर्ज पर ही मंडल के अधीन अन्य उप-मंडल के स्तर पर भी इस संबंध में विशेष प्रयास किये जाने वांछित हैं ताकि आवास बस्तियों से जल प्रभार की लम्बित राशि की अधिकतम/शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके तथा मामला इस आशय से संस्था के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ख) जल आपूर्ति योजनाओं का शीघ्र ही घाटे में जाने की संभावना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 'जल प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान आय व व्यय का विवरण वास्तविक प्राप्ति तथा भुगतान के आधार पर निम्न तालिका अनुसार था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मंडल स्तर पर जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का 93.56% जल आपूर्ति योजनाओं पर खर्च है तथा ऐसी स्थिति में जबकि कर्मचारियों को नए वेतनमान के अंतर्गत वेतन पर व्यय एवं अन्य व्यय लगातार बढ़ते जा रहे हैं जल आपूर्ति योजनाओं का समग्र रूप से जल्द ही घाटे में जाने की संभावना है जबकि क्रम संख्या 5 व 7 पर

वर्णित जल आपूर्ति योजना, मंधाला तथा जल आपूर्ति योजना, बंगाना घाटे में जा चुकी हैं। अतः **जल प्रभार शीर्ष** के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाने का तथा अन्य सुधारात्मक कदम उठाने जिसमें जल आपूर्ति की व्यापक दरों में हर वर्ष अथवा दो वर्षों के अन्तराल पर थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करना भी शामिल है का परामर्श दिया जाता है ताकि जल आपूर्ति योजना के संचालन से संस्था को घाटा न हो।

Sr. No.	HIMUDA Div. Parwanoo	Income Received during the Year on a/c of Water Charges i/c Water Connection Fees 2022-23	Expenditure during the year 2022-23	Expenditure as % of Income
1	WSS Parwanoo	32932144.20	29158182.00	88.54%
2	WSS Baddi (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 20000)	13694503.00	13301008.00	97.12%
3	WSS Kalujhanda	993226.00	902573.00	90.87%
4	WSS Nalagarh	885978.00	697255.00	78.69%
5	WSS Mandhala (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 20000)	1034113.00	1559185.00	150.77%
6	WSS Una (Receipt includes Water Connection Fees of Rs. 12000)	3165718.00	3029293.00	95.69%
7	WSS Bangana	206591.00	859114.00	415.85%
	Overall picture	52912273.20	49506610.00	93.56%

उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में इस संदर्भ में विशेष प्रयास हेतु आश्वस्त किया। अतः आश्वासन अनुसार कार्रवाई कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ग) ऊना उपमंडल में जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत पाई गई अनियमितताएं :

(1) अंकेक्षण के दौरान ऊना उपमंडल के जल प्रभार से संबंधी अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उपमंडल के अधीन आवास बस्तियों के सन्दर्भ में गत वर्ष की तुलना में बकाया राशि में असामान्य वृद्धि पाई गई जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वतः ही स्पष्ट है जो कि एक ओर उपमंडल की कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है तथा वहीं दूसरी ओर किसी संदिग्ध गतिविधि से भी इंकार नहीं किया जा सकता :-

Name of Colony	Amount outstanding upto 31.03.2022	Amount outstanding upto 31.03.2023
Phase-1 & II	190386	96635
Phase-III	13831	118187
Phase-IV	559222	639495
Rental	10921	24795
SHC Bangana	82576	86378

	856936	965490
--	--------	--------

(2) मंडल स्तर पर ऊना उपमंडल में जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के लेखांकन संबंधित अनियमितताएं :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उप-मंडल, ऊना द्वारा मंडल कार्यालय को ₹31,176 बतौर जल प्रभार भेजे गये थे जो कि रसीद संख्या 129143 dated 28.02.2023 द्वारा मंडल कार्यालय में प्राप्त दर्शाए गये, परन्तु लेखों में Ledger -2-Page-273, Vr. 154, CBP-141 अनुसार रख-रखाव प्रभार शीर्ष के अंतर्गत लेखंकित कर दिए गये। इसी प्रकार उप-मंडल, ऊना से रसीद संख्या 128870 dated 08.07.2022 द्वारा प्राप्त ₹1000 की राशि जो कि बतौर Water Connection Charges भेजे गये थे को मंडल कार्यालय स्तर पर Ledger -2-Page-233, Vr. 59, CBP-92 अनुसार Sewerage Connection Charges Account के अंतर्गत लेखंकित कर दिया गया। इस प्रकार मंडल कार्यालय स्तर पर की गयी त्रुटियों के दृष्टिगत लेखे वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करते।

उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब लेखों में आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) अंकेक्षण के दौरान 'परवाणु उपमंडल' में 'जल प्रभार शीर्ष' के अंतर्गत प्राप्तियों से संबंधित अनियमितताएं :

(1) घरेलु उपभोगता तथा व्यवसायिक उपभोगता के लेखा वर्गीकरण प्रणाली को सही प्रकार से लागू न करना तथा घरेलु उपभोगता लेखा संख्या के अंतर्गत ही अनियमित रूप से व्यवसायिक दर से बिल निर्गमित कर भ्रम उत्पन्न करना

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत उपभोगताओं को आबंटित लेखा संख्या में घरेलु उपभोगताओं के लेखा संख्या अंग्रेजी वर्ण "D" तथा व्यवसायिक उपभोगताओं के लेखा संख्या अंग्रेजी वर्ण "C" से शुरू कर दोनों प्रकार के उपभोगताओं को वर्गीकृत किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि घरेलु उपभोगताओं अंग्रेजी वर्ण "D" से शुरू होने वाले लेखा संख्या के उपभोगताओं से भी **व्यवसायिक दर** पर वसूली की जा रही थी। इस बारे ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान इस भ्रम वाली प्रक्रिया को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु तथा इस प्रकार के लेखों की सूची उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप इस संबंध में वस्तुस्थिति की पुष्टि संभव न हुई। अतः अब इस प्रसंग में उक्त भ्रमपूर्ण प्रक्रिया को जारी रखने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये क्योंकि ऐसी परिस्थिति में संस्था को वित्तीय हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

(2) ₹644 की कम वसूली

निम्न प्रसंग में व्यवसायिक उपभोगता से जल प्रभार के अंतर्गत वास्तविक 110 किलो लीटर यूनिट उपभोग के स्थान पर केवल 103 किलो लीटर यूनिट की वसूली किये जाने के कारण तालिका में दर्शाए गई गणना अनुसार ₹644 की कम वसूली की गई:-

Sr. No.	Name & Address of the Subscriber	Account No./Ledger Pg. Ref	Meter Reading New/Old/Diff. in kilolitres	Amount Due @ Rs. 92/kl	Amount collected Rs. 92/kl (No. of units billed)	Amount less realised (Rs.)
1.	Pulkit Industries, Plot No. 11A, Sec-2	2-C-11A / L-156	180/70/110	10120	9476 (for 103 Units)	644

(3) ₹1053 के दंड प्रभार की कम वसूली

निम्न प्रसंगों में उपभोगताओं द्वारा मास फरवरी, 2023 के बिलों का भुगतान देय तिथि के उपरांत करने पर देय दंड प्रभार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹1053 की कम वसूली की गई :

Sr. No.	Name & Address of the Subscriber	Account No./Ledger Pg. Ref	Amount due after due date (Rs.)	Amount deposited (Rs.)	Due Date/ Date of Deposit	Penalty not realised (Rs.)
1	Indian Super Steel, Plot-5 Sec-1	1C-7/ L-7	1664	1558	25.02.23/ 28.02.23	106
2.	Manat Ketan Industries, Plot -49, Sec-5	5-C-38/ L-243	4250	3864	25.02.23/ 01.03.23	386
3.	Novex Healthcare Plot No. 24A, Sec-5	5C-71/L-271	20025	19464	25.02.23/ 10.03.23	561
			25939	24886		1053

(4) खाताबही अनुसार उपभोगता से प्राप्त ₹5000 की राशि के संबंध में बैंक अथवा नगद प्राप्ति की प्रविष्टि अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

श्रीमती संतोष कैथ, MIG-101, Sector-1, Parwanoo लेखा संख्या ID-113 की खाताबही पृष्ठ संख्या-121 पर दर्ज प्रविष्टि अनुसार उपभोगता से दिनांक 27.02.2023 को ₹5000 प्राप्त दर्शाए गये हैं परन्तु इससे संबंधित बैंक अथवा नगद प्राप्ति की प्रविष्टि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गयी। परिणामस्वरूप वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण के स्तर पर सम्भव नहीं हो सकी।

(5) उपभोगता द्वारा न अदा किये गये दंड प्रभार को अगले बिल में शामिल न कर ₹439 की कम वसूली

श्रीमती सतगुरु प्यारी, Account No. 4DS-88 (Ledger Page-88) के खाते की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मास मार्च, 2023 में उनके द्वारा बिल का भुगतान देय तिथि के उपरांत किया गया था। इस प्रकार देय तिथि

के उपरांत देय राशि ₹4739 के विरुद्ध केवल उपभोगता द्वारा केवल ₹4300 का भुगतान ही किये जाने के कारण शेष राशि अर्थात ₹439 (4739 - 4300) को मई, 2023 में जारी अगले बिल में शामिल किया जाना वांछित था जो कि नहीं किया गया | इस प्रकार ₹439 की राशि कम वसूल की गयी |

(6) उपभोगताओं से प्राप्त राशि की खाताबही में प्रविष्टि दर्ज न करना :

अंकेक्षण के दौरान निम्न उपभोगताओं से प्राप्त राशि की प्रविष्टि उनके खातों में दर्ज नहीं पाई गयी :

Sr. No.	Date of receipt	Sr. No. of Bank Scroll	Amount (Rs.)	Name of the Consumer	Account No. / Ledger Page No.	Remarks
1	23.03.2023	34	500	Himachal Power Products	5C-9A / P-210	
2	01.03.2023	4	418	Smt. Kiran Dhir	4D-25 / P-36	Paid by Shri P.C. Sharma as per Bank Scroll
		Total	918			

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 31.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अतः अब उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा संबंधित से आवश्यक वसूली उपरांत / सुधारात्मक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ड) पानी के 409 मीटर 1 मास से 10 वर्ष की अवधि से खराब/बन्द होने के कारण नियमानुसार कार्रवाई न करना तथा उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करना |

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण करने पर पाया गया

कि यथा **परिशिष्ट- "5 (i) से (iii)"** जिसका समेकित सारांश निम्न तालिका अनुसार है, से ज्ञात हुआ कि मंडल के अधीन विभिन्न उप- मंडलों के 409 उपभोक्ताओं के पानी के मीटर 1 मास से लेकर 10 वर्ष के अवधि से खराब या बन्द थे तथा उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पानी बिल जारी किये गये थे जबकि पानी के बिल में वर्णित निर्देशों/शर्त अनुसार "Instructions to Consumers" की संख्या: 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि "If the defective meter is not replaced with in 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice." परन्तु संस्था द्वारा वर्णित निर्देशों/नियमानुसार कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी |

Name of Sub-division	Type of Connection	Number of Defective Meters	Period since defective	Annexure Reference
Baddi	Domestic	197	1 month to 6 years	5(i) P-1 to 10
	Commercial	23		
Parwanoo	Domestic	24	1 month to 4 years	5(ii) P-1 to 2
	Commercial	15		
Una	Domestic	150	1 month to 10 years	5(iii) P-1 to 5
	Total	409		

(ट) अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 21 दिनांक 23.10.2023, 25 दिनांक 30.10.2023, तथा 30 दिनांक 31.10.2023 द्वारा उक्त अनियमितता संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः मीटर खराब अथवा बन्द होने के कारण उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशिघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि से बचा जा सके। साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है की उपभोक्ताओं के स्तर पर इस संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु देरी के हर मास हेतु औसत दर को गत मास की औसत दर से दोगुना कर दे तथा बकाया राशि की वसूली हेतु कड़े कदम उठाये जाये इस कुप्रथा पर नियंत्रण पाया जा सके क्योंकि संस्था स्तर पर कनेक्शन काटे जाने में ढूल मूल प्रक्रिया अपनाई गई है।

10 निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹3998225.25 (Dr) और ₹415720.00 (Cr) का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2023 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में ₹3998225.25 और क्रेडिट में ₹415720.00 समायोजन हेतु शेष थे। जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित यह राशियाँ वर्ष 2013-14 से समायोजन हेतु लम्बित थी तथा हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा खाताबही में दर्शाई गई इन लेखा शीर्षकों के डेबिट तथा क्रेडिट में विद्यमान राशियों का दिनांक 31.3.2023 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है।

Cash Settlement Suspense A/C (As per ledger) as on 31-03-2023			
Name of Division	Ledger-II P.No.	Debit Balance (₹)	Credit Balance (₹)
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla	362		415720.00
CSS A/C Xen. Himuda Division Dharamshala	363	3781780.00	
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla-II	364	143595.25	
CSS A/c Xen. PP & (E) Himuda Div. Hamirpur	365	72850.00	
	Total	3998225.25	415720.00

उक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 11.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में अब यथाशिघ्र Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का नियमानुसार समायोजन किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण मण्डल के Trial Balance एवं Ledger Account के अन्तर्गत दर्शाई गई मदों में (Dr.) ₹17.32 लाख व (Cr.) में ₹3.29 लाख का अन्तर पाया जाना

निर्माण मण्डल के Trial Balance और Ledger Account के मिलान में पाया गया कि विविध शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई मदों में अन्तर था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जबकि तलपट में खाताबही के अनुसार ही मदों को दर्शाया जाना अपेक्षित था। खाताबही व तलपट के डेबिट व क्रेडिट में दर्शाई गई मदों में पाए गये अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr. No.	Head of Account	Balance as per Ledger		Balance as per Trial Balance		Difference	
		Dr. (₹)	Cr. (₹)	Dr. (₹)	Cr. (₹)	Dr. (₹)	Cr. (₹)
1.	Stock Suspense						
	(i) PWN (P-327)	10309799	7801229	Consolidated figure in Trial Balance is as under	Consolidated figure in Trial Balance is as under		
	(ii) BADDI (P-328)	501219	501219				
	(iii) UNA (P-330)	960	(-)960				
	(iv) Sanjauli(P-337)	0	1476860				
	Total	10811978	9778348	10858696	9730670	46718 (Excess in T/Balance)	47678 (Less in T/Balance)
2.	Stock Storage Account						
	(i) PWN (P-338)	17759	289916				
	(ii) BADDI (P-340)	0	15037				
	Total	17759	304953	17759	586768	-----	281815 (Excess in T/Balance)
3.	A/R, M/O Road Gas Pipeline Una C/o SHC at Una (SH-Dev. Of Park Near Shopping Complex, Phase-1, Una) P-726	4495004	1554274	6180358	1554274	1685354 (Excess in T/Balance)	----- --
					Total	1732072	329493
						These figures are total of all positive & negative figures.	

उक्त अनियमितता कुछ अन्य प्रसंगों सहित अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 4 दिनांक 22.09.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु उक्त वर्णित प्रकरणों में अंकेक्षण की समाप्ति की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः इस संबंध में अब नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित

सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लेखों का संधारण किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित कर सके।

12 निर्माण कार्यों के संबंध में पाई गई अनियमितताएं :

1. Name of work	C/O of 11 Nos. House & 5 Nos. Plots at Social Housing Colony at Una HP		
Agreement No,	75 of 2019-20	Voucher No	126 Dt. 22.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-7747-55 dt. 18/03/2020 for ₹2,63,20,674.42		
R. Bill No.	1 to 4	MB No.	2522 P-44 to 70
Name of contractor	M/S Kulvinder Singh		

(क) आबंटन पत्र की शर्तानुसार उपरोक्त कार्य दिनांक 30.09.2021 तक पूर्ण किया जाना वांछित था, परन्तु वास्तव में दिनांक 31.07.2023 को पूर्ण किया गया तथा इस संबंध में अंतिम भुगतान को रोक कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु यद्यपि मंडल कार्यालय ने पत्र संख्या HIMUDA/PD/AB/Agr. No. 75 of 2019-20/2023-4467 दिनांक 12-10-2023 द्वारा प्रकरण हिमुडा मुख्यालय को प्रेषित तो किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक इस संबंध में अनुमोदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) इस बिल के अंतर्गत ₹1,34,640 का भुगतान **Item No. 26** : Providing woodwork in forms of doors, windows, clerstory window and other farmed wrought, frames and fixed position of First Class Ivory Coast wood including carriage of material in all leads and lifts” के अधीन लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को किया गया था परन्तु लकड़ी के क्रय से संबंधित कोई भी बिल अभिलेख में नहीं पाया गया।

(ग) बिल के साथ सलग्न Consumption Statement अनुसार जो कि **परिशिष्ट-6** पर दर्शायी गई है इस निर्माण कार्य पर चतुर्थ बिल तक **2159.360 MT Sand व 3904.698 एग्रीगेट** की मात्रा अर्थात कुल 6064.058 MT की सामग्री प्रयोग में लाई गई थी तथा संविदाकार द्वारा इस संबंध में प्रदत्त x/M फॉर्म भी अभिलेख में पाए गये। परन्तु संविदाकार द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के बिल अभिलेख में उपस्थित न होने के कारण इस संबंध में बिल तथा एम् / एक्स फॉर्म के मिलान संभव न हो सका। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अतिरिक्त मद के निष्पादन हेतु ₹10.74 लाख का अनियमित भुगतान :

इस कार्य के अंतर्गत निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार अतिरिक्त मद के निष्पादन हेतु अनुमानित आंशिक दर पर ₹10,74,736 का भुगतान संविदाकार को किया गया था, परन्तु इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

Nomenclature of Extra Item EI	MB Ref.	Quantity executed upto 4 th R. Bill	Rate Part (Full) – (₹)	Amount (₹)
Excavation in earth work and filling 15 cm layer in foundation and plinths i/c ramming watering and consolidating upto a lead of 8.00 Km by mechanical transport in all leads & lift	2522/ P-69	4478.07	240 (341.13)	1074736

(ड) गणना की त्रुटी के कारण ₹5280/- संविदाकार को अनियमित अधिक भुगतान

चलत बिल संख्या 3 के अंतर्गत मद संख्या-10 हेतु मंडल स्तर पर House No. 217 & 216 के संदर्भ में MB-2455 के पृष्ठ -47 & P-57 पर घटाने योग्य मात्रा 1.20m³ को भी जोड़ कर योग में शामिल कर लिया गया जबकि उपमंडल स्तर पर इसे सही दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदाकार को गणना की त्रुटि के कारण ₹5280 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है :

Item No. and Nomenclature	MB Ref.	House No.	Quantity as per MB (in m ³) Paid/Due/Excess	Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
10. Providing and laying cement concrete 1:6:12 (1cement:6sand:12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth including carriage of material in all lead & lifts.	Record entry at MB-2455 P-47 MB-2455 P-57 Abstract at MB-2522 at Page-29	217 216	19.25/18.05/1.2 19.25/18.05/1.2	2200	5280
		Total	38.5/36.10/2.4		

(च) इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल के अंतर्गत Item No. 18 : "Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work ..." की रिकॉर्ड प्रविष्टि की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि MB-2455 P-4 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार 8MM Steel की 17.36 RMT मात्रा को 10 MM Steel की गणना में भी सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹679 का अधिक भुगतान कर दिया गया जबकि 3rd चलत बिल के अंतर्गत इसी मद के संदर्भ में MB-2455 P-23 पर योग की त्रुटि के कारण ₹197 का अधिक भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹876 (679 +197) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया था।

Item No./ Nomenclature	MB Ref.	Quantity as per MB (in kgs) Paid/Due/Excess	Rate (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
18.00/ Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, binding and placing in position complete including cost of binding wire upto all height including carriage of material in all lead and lift. Approved Make of Rariya Ispat Nigam (R.I.N.) / Steel authority of India / Tisco Tata Steel	Record entry at MB-2455 P-4 Abstract at MB-2522 at Page-6 (1st R. Bill)	3039.50/3028.7 2/10.78	63	679
	Record entry at MB-2455 P-23 Abstract at MB-2522 at Page-17 (3rd R. Bill)	2638.01/2634.8 9/3.12	63	197
			Total	876

(छ) निर्माण कार्य के चतुर्थ बिल के अंतर्गत **Item No. 32** हेतु - 92 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15cms का भुगतान तो संविदाकार को किया गया परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹1842 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 24 (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.03x0.1x0.15 x 92=0.414m ³ Abstract at MB-2522 at Page-53 (4th R. Bill)	4450 Abstract at MB-2522 at Page-50 (4th R. Bill)	1842

12.1

2. Name of work	PSFS at Kamli Road Parwanoo (Sh:- C/O 3 BHK 16 nos. Flats i/c int. WS & S.I)		
Agreement No,	55 of 2018-19	Voucher No.	104 Dt. 16.03.2023
Award letter No. with awarded amount	HIMUDA:PD/CB/A-15/2018 5425-33 Dt. 01/01/2019 for Rs. 4,34,14,661.25		
Bill No. & amount	15 th R/Bill Rs. 3316477/-	MB No.	2557 P-46 to 73, MB -2555

Name of contractor	M/S Vishwan Bhumi Engineer Pvt. Ltd.	JE	Sh. Manjeet
--------------------	--	----	-------------

(क) संविदाकार के द्वारा एम् फार्म प्रस्तुत न करने पर भी रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹7.91 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :

इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में तैयार की गई Consumption Statement अनुसार (परिशिष्ट-7-पृष्ठ 1 से 3) अनुसार इस कार्य हेतु 2695.474 MT of Sand, 8291.36 MT of aggregate and 2631.13 MT stone अर्थात् कुल मिलाकर 13617.96 MT सामग्री प्रयोग में लाई गई थी तथा उप-मंडल स्तर पर HP Minor Minerals (Concession) and Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, & Storage) Rules, 2015 के प्रावधान अनुसार तथा आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 अनुसार इस पर रु 60 प्रति मीट्रिक टन की दर से रु 817078 की रॉयल्टी काटी जानी प्रस्तावित थी। परन्तु इस प्रसंग में संविदाकार से प्रयुक्त सामग्री की मात्रा के बराबर के M/X forms न प्राप्त कर केवल अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार केवल 432 MT मात्रा के ही M/X forms अभिलेख में उपस्थित पाए गये। इस प्रकार 13185.96 MT (13617.96 -432) की सामग्री के M/X forms न प्रस्तुत किये जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को देय राशि में से ₹791157.60 की रॉयल्टी काट कर सरकारी कोष में जमा करवाई जाना वांछित थी तथा ऐसा न करने के कारण संविदाकार को ₹791157.60 का अधिक अनियमित भुगतान कर दिया गया तथा प्रदेश सरकार के कोष को इस राशि की राजस्व हानि पहुंचाई गई।

उक्त प्रसंग अधिशासी अभियंता, परवाणू मंडल के साथ चर्चा के दौरान उनके व्यक्तिगत ध्यानार्थ लाये जाने पर उन्होंने अपने नोट अनुसार निम्न से अंकेक्षण को अवगत करवाया :

“This is in reference to the discussion on the Audit Queries regarding M-Form:-

The work Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo (Sh:- C/O 3 BHK 16 nos. Flats i/c int. WS & S.I, connecting site development, providing external water supply, External Sewerage system I/c Construction of 30 KLD STP & Channelization of Nullah, was awarded to the Contractor vide Agreement No. vide 55 of 2018-19 wherein there was provision to deduct royalty charges @ Rs. 60 / MT on consumption of sand & aggregate. During the course of period Hon'ble High Court has directed to stop deduction of royalty from all mining material & ensure procurement/ supply through Govt. authorised Crusher and consider M Form for mining materials in the subsequent agreements. In this work HIMUDA has ensured supply of material from suppliers with proper GST Registration in order to use only mining material issued from registered or licenced Crushers & has stopped deducting royalty charges from the Contractors as one time royalty on the mining material has already been paid to the Govt. by the suppliers

and further charged from the Contractor by issuing bills in his name. As such observation for non-providing submitting of M-Forms with respect to works where agreement provides deduction of royalty charges be waived off/ considered where Contractor has either provided bills from the suppliers having GST registration. Moreover, it is being ensured by HIMUDA in the subsequent agreements after Hon'ble High Court of HP directions that only M-Forms are submitted by the contractor with the Running bills for the mining material as there is no provision / head in which royalty deducted even for the previous agreement can be deposited. Submitted for favour of consideration, please.”

उक्त के प्रसंग में कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा यह कहना कि रॉयल्टी को राजस्व में जमा करवाने हेतु कोई भी प्रावधान / लेखा शीर्ष उपलब्ध नहीं है, सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अन्य विभागों में भी इस तरह के प्रकरणों में रॉयल्टी लेखा शीर्ष 0853 : Non-ferrous mining & mettaurlogical Industries 102 : Minerals concessions, fees, rents & royalties: 81 Other receipts में जमा करवाई गई है / जा रही है तथा इस शीर्ष को बंद करने बारे कोई जारी आदेश अंकेक्षण के संज्ञान में नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिमुडा के स्तर पर आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 में भी कोई संशोधन नहीं किया गया था तथा पैरा संख्या 12(1)(ग) व 12(4)(ख) में उठाई गयी आपत्तियों से स्पष्ट है कि संविदाकारों से बिल भी हर प्रकरण में मंडल कार्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं करवाए जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में संविदाकार को देय भुगतान में से **एम फॉर्म** न उपलब्ध करवाने की स्थिति में रॉयल्टी को न काटने से संविदाकार को अनियमित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए या तो संविदाकार से उक्त ₹791157.60 की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा इस प्रसंग में और अधिक स्पष्ट होने के लिए वसूली से पूर्व सम्बन्धित खनन विभाग से उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये तथा तदनुसार अंतिम कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) होल्ड फ़ास्ट की निष्पादित मात्रा को ब्रिक वर्क की निष्पादित मात्रा से कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.42 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :-

MB 2557 पर दर्ज 15th R. Bill की Abstract प्रविष्टि अनुसार संविदाकार को **Item No. 32 - 1696 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15 cms in 1:3:6** का भुगतान तो संविदाकार को किया गया परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹41976 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 20 (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
32.00/Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.30x0.10x0.15 x 1696=7.632m ³ Abstract at MB-2557 at Page- 57	5500 Abstract at MB-2557 at Page-54	41976

(ग) ₹832 का अनियमित भुगतान :

MB No. 2555 के P-95 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार Item No. 11.02 : P/L Cement Concrete having strength of M-20 mixed design aggregate mechanically mixed and vibrated and curing complete excluding cost of form work and reinforcement for reinforced concrete works in suspended floor including carriage of materials in all leads and lifts in Suspended floor, roofs,landings, shelves and their support balconies, beams, girders, bressumers and cantilevers in all heights” की निष्पादित मात्रा 1.20 m³ थी परन्तु MB No. 2557 के P-52 पर Abstract में इसे 1.36 m³ दर्शा दिया गया | परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹832 {(Rs. 5200 x 0.16 (1.36-1.2))} का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है |

12.2

3.Name of work	C/O PSFS at Kamli Road Parwanoo (Sh: - 8nos. & 2 BHK & 32 Nos. 1 BHK at Kamli Parwanoo		
Agreement No,	56 of 2018-19	Voucher No	152 Dt. 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	HIMUDA:PD/CB/A-15/2018-6458-66 Dt. 23/01/2019 for ₹3,75,57,312.40		
Bill No. & amount	17 th R/Bill of Rs. 1870064/-	MB No.	2594 P 1-14
Name of contractor	Sh. Hoshier Singh	JE	Sh. Manjeet

होल्ड फ़ास्ट की निष्पादित मात्रा को ब्रिक वर्क की निष्पादित मात्रा से कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.48 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :-

MB 2594 के पृष्ठ 1 से 14 पर दर्ज 17th R/Bill की Abstract प्रविष्टि अनुसार संविदाकार को **Item No.**

26 - 2176 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15 cms in 1:3:6 का भुगतान तो किया गया

परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹47736 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 14 (₹)	Amount overpaid rounded (₹)
26.00 : Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embedding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.30x0.10x0.15 x 2176=9.792 m ³ Abstract at MB- 2594 at Page-13	4875 Abstract at MB-2594 at Page- 10	47736

12 (3)

4.Name of work	C/O 4 Nos Type -IV staff Qtrs BMO office building Chandi		
Agreement No,	20 of 2020-21	Voucher No.	154 dated 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-3703-11 Dt. 26-10-2020 for ₹84,92,687.49		
Bill No. & amount	4 th R. bill for Rs. 894183	MB No.	2530 / 2528
Name of contractor	Sh. Nitin Bhasin	JE	Sh. Basant Thakur

(क) एक ही मात्रा को दो बार गणना में शामिल कर संविदाकार को ₹4590 का अनियमित अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 'Item No. 9.03 P/L Cement Concrete having strength of of M-20 mixed design aggregate...' की MB No. 2528 के Page No. 9 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि 0.85 m³ की निष्पादित मात्रा को एक बार तो पृष्ठ- 19 में दर्ज प्रविष्टि में शामिल (carried forward) कर लिया गया था तथा वहीं दूसरी ओर मंडल स्तर पर इस मात्रा को उक्त मद के योग की कुल निष्पादित मात्रा को 6.13m³ से बढ़ा कर 6.98 m³ पृथक से दर्शा कर दोबारा जोड़ / शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार MB-2530 पृष्ठ -4 पर दर्ज सारांश अनुसार इस मद हेतु 15.30 m³ के स्थान पर 16.15m³ मात्रा का भुगतान कर दिया गया। परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹4590 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया प्रतीत होता है।

Item No.	Nomenclature of the item	Quantity paid as per MB-No. 2530 P-4 read with 2528 P-9 & 19	Quantity due to be paid	Quantity paid in excess	Rate (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)
9.03	P/L Cement Concrete having strength of of M-20 mixed design aggregate mechanically mixed and vibrated and curing complete excluding cost of Form work and reinforcement for concrete works including carriage of material in all leads and lifts in Columns, pillars, posts and struts upto all heights	16.15m3	15.30m3	0.85m3	5400 per m3	4590

(ख) रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण संविदाकार को ₹2620 का अनियमित अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में तैयार की गई Consumption Statement अनुसार (परिशिष्ट-8) अनुसार इस कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री पर उप-मंडल स्तर पर आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 अनुसार ₹60 प्रति मीट्रिक टन की दर से ₹2620 की रॉयल्टी काटी जानी प्रस्तावित थी, परन्तु मंडल स्तर पर बिल का भुगतान करते समय संविदाकार द्वारा न तो कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री के बिल तथा न ही X / M फॉर्म अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये तथा ₹2620 की रॉयल्टी काटी गई | इस प्रकार संविदाकार को अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है |

5 Name of work	C/o Office for Excise & Taxation Deptt. Hall No 1 & 2 Commercial complex 34-B Sec-2 Parwanoo-(SH-P/F Cupboard & fixing of Glass)		
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2020-6533-43 Dt. 30-01-23 for ₹913310.66		
Agreement No,	45 of 2022-23	Voucher No.	115 dated 17.03.2023

Bill No. & amount	2 nd & Final bill for Rs. Rs. 280276	MB No.	2551 P-81 to 91
Name of contractor	Sh. Shyamanand Patel	JE	Sh. Manjeet

(ग) संविदाकार को ₹2270 का अनियमित भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **MB-No. 2551 P-85 read with P-88 पर दर्ज प्रविष्टियों अनुसार** Item No. 2 "Polishing on woodwork with ready mix paint polish with approved brand" की गणना निष्पादित मात्रा को 1.12 के फैक्टर से गुणा कर संविदाकार को भुगतान किया गया था तथा तदनुसार संविदाकार को ₹2270 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान उक्त फैक्टर से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 02.11.2023 द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Item No.	Nomenclature of the item	Quantity paid as per MB-No. 2551 P-85 read with P-88	Quantity due to be paid	Quantity paid in excess	Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
2.0	"Polishing on woodwork with ready mix paint polish with approved brand"	168.98m ² x 1.12=189.52m ²	168.98m ²	20.27m ²	112/m ²	2270

12 (4)

6 Name of work	C/o Sub- Jail at Kishanpura (Sh:- Dev of site P/L interlocking tiles)		
Agreement No.	41 of 2021-22	Voucher No.	2 dated 01.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-4883-93 Dt. 31-01-2022 for Rs. 71,78,756.86		
Bill No. & amount	3 rd for Rs. 547423	MB No.	2563,2564 P-27
Name of contractor	Sh. Kamal Kumar	JE	Sh. Varinder Singh

(क) संविदाकार को रिकॉर्ड प्रविष्टी में त्रुटी के कारण ₹1140 का अनियमित अधिक भुगतान :

इस निर्माण कार्य के बिल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि MB-2563 at P-39 पर दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार Male Barrack No. II की दीवार हेतु फॉर्म वर्क के कार्य में दीवार की लम्बाई 2.80 Mtrs दर्शाई गई थी जबकि MB-2563 P-40 अनुसार उसी भाग में P/L Cement Concrete के कार्य हेतु दीवार की लंबाई 12.80 Mtrs दर्शाई गई थी। इस प्रकार निम्न तालिका में दी गई गणना अनुसार संविदाकार को ₹1140 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया प्रतीत होता है।

Item No.	Nomenclature of item	MB - 2563 (Page)	Quantity paid as per entry recorded in MB	Quantity that should have been paid as per Form Work	Difference & Rate (₹)	Amount overpaid (₹)
4.03	Providing Form work with Steel plates ... in vertical surface such as walls	P-39	2x2.8x 0.075=0.42m ²	-----	-----	----- -
7.02	P/L Cement concrete having strength of M-25 design mixed aggregate ...inwalls	P-40	1x12.80x 0.25x.075= 0.24 m ³	1x2.80x 0.25x.075= 0.05 m ³	0.19 @ ₹6000 (MB-2564 P-32)	1140

12 (5)

7 Name of work	Restoration of drain & Railing Damaged due to laying of Gas Pipe line Housing Colony Ph-I to IV Distt. Una.		
Agreement No,	32 of 2021-22	Voucher No.	160 dated 31.03.2023
Award letter No. with awarded amount	PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-3393-3403 Dt. 05-11-2021 for ₹40,81,418.58		
Bill No. & amount	4 th & Final bill for ₹11904	MB No.	1965 P-83 to 92
Name of contractor	Sh. Tilak Raj	JE	Sh. Sukhdev Singh

(क) आर्बटन पत्र PD/HIMUDA/CB/A-15/2021-3393-3403 Dated 05.11.2021 की शर्तानुसार उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को कार्य पूर्ण करने हेतु 3 महीने का समय दिया गया था तथा तदनुसार कार्य दिनांक 18.02.2022 तक पूर्ण किया जाना वांछित था, परन्तु वास्तव में दिनांक 02.07.2022 को पूर्ण किया गया अर्थात् 4 मास व 11 दिन की देरी से संपन्न किया गया। परन्तु न तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर देरी के इस अन्तराल को

नियमित किया गया तथा न ही अनुबंध के Clause-2 & 5 अनुसार संविदाकार पर कोई दंड अधिरोपित किया गया जो की अनियमित है।

Date of start	19.11.2021
Period allowed	3 months
Due Date of Completion	18.02.2022
Date of completion	02.07.2022
Period of Delay	4 months 11 days

उपरोक्त सब निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएं अंकेक्षण समाप्ति से पूर्व अधिशासी अभियन्ता से चर्चा के दौरान तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 31 दिनांक 02.11.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी। अतः अब इस सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख / स्पष्टीकरण सहित कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹39.93 लाख की Extra Item / Substitute Item हेतु किये गये अनियमित भुगतान :-

(1) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए गये निर्माण कार्यों के निष्पादन में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही ₹39,93,409.60 की **Extra Item / Substitute Item** का निष्पादन करवाया गया था {जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 9 (पृष्ठ 1 व 2) तथा परिशिष्ट 10** में वर्णित है} तथा तदनुसार संविदाकार को भुगतान भी कर दिया गया जो कि अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 30.10.2023 द्वारा इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदन अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं। अतः अब वांछित अनुमोदन आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Sr. No.	Name of Work/ Agreement No.	Name of Contractor	Running Bill	Amount (₹)	Detail of Extra & Substitute Items
1.	C/o of BMO Office Building at Chandi, Teh Kasauli, Dist-Solan (HP)/ 16 of 2020-21,	Sh. Narender Singh Chauhan	6th running Bill	Extra items ₹19,64,864.10 Substitute items ₹16,67,650.00	As per Annexure-9 (पृष्ठ 1 व 2)
2.	C/o Housing Colony at Nalagarh	M/S M.L. Gupta &	13th	Extra items ₹360895.50	As per Annexure-

	(SH: C/o 56 No. Cat-II Flats I/c Development of Site, R. Wall, MS Gate) / 17 Of 2019-20	Associates	running Bill		10
			Total	39,93,409.60	

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित निर्माण कार्य के प्रसंग में मद संख्या 8.01 व 8.02 हेतु यद्यपि मुख्य अभियंता से पत्र संख्या No. HIMUDA (DB)E.I./S.I./Deviation-Vol-II-435 dated 14.03.2023 द्वारा अनुमोदन तो प्रदान किया गया था परन्तु उस अनुमोदन अनुसार दोनों मदों के nomenclature में कोई भी अंतर नहीं था जबकि निष्पादन योग्य मात्रा क्रमशः 308 व 44 थी तथा दर क्रमशः ₹1552.50 व ₹2499.15 निर्धारित की गई थी जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जिस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसमें से वर्तमान अवधि तक केवल निम्न विवरणानुसार एक ही मद जिसकी दर अधिकतम निर्धारित की गई थी, का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 26 दिनांक 30.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः या तो इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से संशोधित अनुमोदन प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr.no	Description	MB Ref	Executed Quantity	Rate	Amount (₹)
65/SI-7	Providing and fixing mortice lock(cylindrical noob) Hareson make (BMW) of approved quality with necessary screws etc. complete i/c carriage of all leads and lifts	2582 P-6	12 Nos	PR.2000 FR.2499.31	24000

14 Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना ₹4025.49 लाख का व्यय करना।

Deposit Works से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-“11 पृष्ठ 1 से 5” अनुसार निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना ही व्यय किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण भी एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त किये बिना तथा प्राप्त स्वीकृति से अधिक व्यय किये गये डिपॉजिट कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Detail of Expenditure on Deposit Works without the Administrative Approval & Estimate Sanction				
Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received	Total Expenditure
			(In Lacs)	(In Lacs)
1	2	3	4	5
1	C/o operation theatre & labour delivery combined unit at CHC at Dharampur.	Nil	11.31	11.31
2	C/o Culture sentivity lab at Dharampur	Nil	8.88	8.88
3	Addition & alteration and renovation IRL Bldg. at TBS Dharamput.	Nil	50.58	50.58
4	C/o RCH building at Dharamput	Nil	25.37	25.37
5	C/o GSSS Arloo Una	Nil	98.85	82.6
6	C/o Sports cum-co-curricular activity Exam Hall Una	Nil	71.46	87.05
7	C/o Sub Jail at Nalagarh, Male barrack No-I, II	Nil	375.34	336.52
8	C/o of Admn. Block Ph-1 sub-jail at Nalagarh	Nil	344.95	209.51
9	C/o 6 Nos type-II qtrs Sub-Jail Nalagarh, Solan	Nil	179.95	156.33
10	C/o Kitchen Dispensary-1 No. block at Sub-jail Nalagarh	Nil	99.60	82.59
11	C/o female barrack at Nalagarh	Nil	86.44	54.62
12	C/o Boundary /Enclosure wall Sub jail at Nalagarh	Nil	136.43	136.43
13	C/o ITI Building at Bangana, Una	Nil	396.73	380.63
14	C/o outdoor stadium at Delehar Una (C/o toilet & sitting tires existing pavillion block	Nil	50.00	56.45
15	C/o 1 No. Type-IV qtrs for Add S.P. Resi Baddi, Distt. Solan.	Nil	50.60	45.42
16	C/o 192 Nos. flats under IHSDP Sector-4	Nil	1252.72	1452.35
17	C/o 128 Nos. flats under IHSDP	Nil	648.05	755.04
18	C/o 70 KLD STP Sector-5 Parwanoo	Nil	75.00	66.74
19	S/repair & maint. Residencial hostel building & admn block (DIET) at Dulehar Una	Nil	20.13	22.07
	Total		3986.39	4025.49

अतः Administrative Approval & Expenditure Sanction को प्राप्त/अनुमोदित करवाये बिना ही व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व वर्णित Deposit works के सम्बन्ध में उपरोक्त/सम्बन्धित विभाग से Administrative Approval & Expenditure Sanction को स्वीकृत करवाया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यो को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में ₹455.04 लाख का अधिक व्यय करना

Deposit Works से सम्बन्धित निर्माण कार्यो यथा परिशिष्ट-“11 पृष्ठ 1 से 5” अनुसार का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न Deposits Works के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹455.04 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। हिमुडा द्वारा जहाँ एक ओर विविध वित्तीय संस्थाओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करके निर्माण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर Deposit Work हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया जा रहा है जिसे किसी भी स्थिति में संस्था के हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में डिपॉजिट कार्यो पर किये गये अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Amount spent on Deposit works in excess of receipt from the Client Departments									
Sr. No.	DEPARTMENT NAME	NAME OF WORK	Date of start	Date of completion	AMOUNT RECEIVED	EXPENDITURE INCURRED		TOTAL EXP.	EXPENDITURE EXCESS/LESS
						CIVIL	ELECT.	(6+7)	(5-8)
1	HEALTH	C/o BMO's & 8 Nos. Ty-II, 4 Nos. Ty-IV Staff Qtrs at CHC Chandj	25/08/20	24/02/20	230.00	284.37	0.06	284.43	-54.43
2	YSS EDUCATION	Construction of Sports Cum-co-curricular activity Exam Hall. Una	Not informed		71.46	87.05	0.00	87.05	-15.59
3	YSS	Indoor Stadium at Una (C/o Path surrounding multipurpose play ground	12/10/19	11/1/20	67.77	72.17	0.00	72.17	-4.4
4	YSS	Outdoor Stadium at Dulehar Una (C/o Toilet & Sitting tires	Not informed		50.00	56.45	0.00	56.45	-6.45

		existing Pavilion Block.							
5	POLICE	C/o 6 Nos Type-II Qtrs at Ist IRBN Bangarh.	1/3/16	10/12/16	115.08	124.22	6.57	132.57	-17.49
6	POLICE	C/o 1 No. Warder Barrack Block Ist IRBN Bangarh.	30/08/18	28/02/19	51.00	59.47	0.00	59.47	-8.47
7	IHSDP	C/o 192 Nos. flats under IHSDP sector-4 Pwn	Not informed		1252.72	1424.77	27.58	1452.35	-199.63
8	IHSDP	C/o 128 Nos flats under IHSDP	Not informed		648.05	733.04	22.00	755.04	-106.99
9	Excise & Taxation	C/o Multipurpose Barrier at Tipra. (PWN)	4/7/13	3/11/13	306.32	338.46	0.00	338.46	-32.14
10	Excise & Taxation	Construction Office Building & Type-II Qtrs for Asstt. State Excise & Taxation Office at Dharmapur.	Not informed		55.93	61.00	2.44	63.44	-7.51
11	Elementary Education	S/Repair & Maint. Residencial Hostel Building & Admn Block (DIET) at Dulehar Una	Not informed		20.13	22.07	0.00	22.07	-1.94
				Total	2868.46	3263.07	58.65	3323.50	-455.04

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14 दिनांक 17.10.2023 के अन्तर्गत Deposit Works के सम्बन्ध में Client Deptt. से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना व स्पष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व निष्पादित किये गये कार्यों के सन्दर्भ में यथाशीघ्र कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 ₹5 लाख से कम की राशि के निर्माण / मुरम्मत के कार्य केवल दो ऑफलाइन निविदाएं प्राप्त होने पर ही अनियमित रूप से आबंटित करना :

अंकेक्षण के दौरान Tender Opening Register की नमूना जाँच पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में ₹5 लाख से कम की राशि के कार्य केवल दो संविदाकारों से ऑफलाइन निविदाएं प्राप्त होने के उपरान्त ही आबंटित किए गए थे जबकि नियमानुसार न्यूनतम 3 निविदाएं प्राप्त होने पर ही कार्य आबंटन का प्रावधान है अन्यथा न्यूनतम 3 निविदाएं प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार पुनः निविदाएं आमंत्रित की जानी वांछित है। अतः केवल दो संविदाकारों से निविदाएं प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आबंटन करना अनियमित है। उक्त

अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 02.11.2023 द्वारा संस्था के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा साथ ही भविष्य में ऐसे प्रसंगों में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

Sr. No.	Name of Work	Sub Head	Estimated cost (₹)	Nos. of Participant	Tender Opening Register Page No.
01	A/R & M/O Water supply scheme Baddi Phash I & II Distt. Solan (HP)	Providing vendlaying 32 mm dia distribution pipe line from House No. 147 to House No. 168	37,518/-	02	241
02	A/R & M/O IRT at Mandhala (Baddi), Dist. Solan(HP)	Restoration of damaged sewerage line near 96 No. Cat-IV flats providing barbed line fencing along barrier c/o Retaining wall along with Nallah to protect the sewer line	4,37,705/-	02	245
03	Special repair of Tail in first floor in HPCED building Industry Department, Parwanoo, Dist. Solan (HP)	Replacement of pipe line and placing new pipe line and oil bound distempering. Painting & internal fittings of water	1,66,539/-	02	247
04	A/R R 14/0 Sewerage system to 352 Nos. Single Room Fleets at Residential complex/Houses colony at Bhatoli Kalan (Baddi), Phase-IV, Dist. Solan, (HP)	Repair & Maintenance of existing sewerage systems.	4,97,855/-	02	250
04	A/R R/O Water scheme at Housing Colony Baddi,	Dismantling of existing Pump House at Bhatali Kalan (Baddi), Dist. Solan, (HP)	50,564/-	02	252
05	A/R & M/O External Sewerage System at IRT Mandhala, Dist. Solan, (HP)	Providing and laying 200mm PVC pipe line from Plat No. 199 to S.T. P & Plot No. C-288 TO S.T. & C/o Manhole	3,41,795/-	02	258

17 सम्बन्धित विभागों में ₹120.27 लाख की राशि का सेंट्रल.जी.एस.टी., स्टेट.जी.एस.टी., आयकर, लेबर सेस और रॉयल्टी जमा न करना एवं अन्य अनियमितताएं :--

(1) मण्डल की खाता बहियों में दिनांक 31.3.2023 को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार ₹1,20,27,413.50 की राशि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जमा/क्रेडिट थी। यह राशियाँ नियमानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों काटी गई थीं परन्तु इन राशियों का भुगतान सम्बन्धित विभागों को नहीं किया गया था। इस बारे में मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उक्त कटौतियों बारे त्रैमासिक आधार पर सूचना मुख्यालय, निगम विहार शिमला 02-को प्रेषित की जाती है तथा वहां से इन राशियों का प्रेषण/भुगतान किया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह सुझाव दिया गया था कि मुख्यालय से भुगतान से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करके मण्डल कार्यालय की खाता बहियों में उक्त लेखों का आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किया जाये, परंतु इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र. सं.	मद का विवरण	खाता बही- II , पृष्ठ संख्या	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार 31-03-2022 को अंतिम शेष	खाता बही अनुसार दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	अंतर की राशि (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार)	वर्ष 2022-23 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार)	खाता बही अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष
1	Goods and Service tax (CGST)	146 to 153	Cr. 3803972	Cr. 3962559	158587	1783987.50	1308440.50	Cr. 3487012
2	Goods and Service tax (SGST)	157 to 164	Cr. 3803972	Cr.4253557	449585	1783987.50	1308440.50	Cr. 3778010
3	Income tax Account	116 to 124	Cr 207984	Cr. 207984	Nil	2478214.00	2530052.50	Cr .259822.50
4	Surcharge	129 to 130	Cr. 17775	Cr. 17725	50	0	0	Cr. 17725
5	Royalty	144 to 145	Cr. 577581	Cr. 974981	397400	0	7312.00	Cr. 982293
6	Labour Cess	131 to 138	Cr. 3467793	Cr. 1785081	1685712	1504644.00	1298315.00	Cr. 1578752
7	GST on maintenance Charges	180	-----	Not indicated	-----	31350.00 (Adjustment entry)	1955149.00	Cr. 1923799
							Total	Cr. 12027413.50

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 1,2,4,5 व 6 पर वर्णित लेखा शीर्षों में खाता बही में दिनांक 01.04.2022 को दर्शाए गये प्रारम्भिक शेष गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 31.03.2022 को दर्शाए गये अंतिम शेष से भिन्न

पाए गये हैं जैसा कि उक्त तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है | इस सम्बन्ध में ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 11.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अतः या तो इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा मूल अभिलेख में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(3) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त तालिका के क्रम संख्या 7 पर वर्णित लेखा शीर्ष '**GST on maintenance Charges**' के अंतर्गत न तो अंकेक्षण अवधि के दौरान संबंधित विभाग को कोई भुगतान किया गया था तथा न ही इस शीर्ष के अंतर्गत गत वर्ष 2021-22 के अंतिम शेष को वर्ष 2022-23 के प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया था | संस्था से इस शीर्ष के अधीन दिनांक 31.03.2023 तक एकत्रित राशि बारे ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 11.10.2023 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने बारे तथा संबंधित विभाग को भुगतान न करने बारे स्पष्टीकरण हेतु भी अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | ऐसी स्थिति में इस शीर्ष के अंतर्गत एकत्रित राशि को संस्था के द्वारा गत कई वर्षों से राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं करवाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | अतः अब इस सम्बन्ध में मूल अभिलेख अनुसार वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

18 प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹77.87 लाख की राशि का अधिक व्यय:-

निर्माण मण्डल द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन एवं भत्तों पर ₹77,27,761 का अधिक व्यय किया गया था जबकि संस्था द्वारा गत दो वर्षों में इस संबंध में व्यय की तुलना में अधिक आय अर्जित की गई थी जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वतः ही स्पष्ट है | अतः यह एक चिंता का विषय है तथा यह प्रसंग संस्था के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के उद्देश्य से हिमुडा के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है |

Year	Establishment Expenses (Rs.) {Figures of 2019-20 to 2020-21 are as per previous Audit Reports}	Departmental Charges (₹)	Surplus / Deficit	
	“A”	“B”	“C=B-A”	“D= C / A”
			(₹)	in %
2019-20	15742188	23119870	(+)7377682	(+)46.86%
2020-21	16386406	21949705	(+)5563299	(+)33.95%
2021-22	23209214	15481453	(-)7727761	(-)33.30%

19 HP Sate Electricity Board Ltd. द्वारा उप-मंडल, बद्दी से संबंधित बिजली के बिल में दर्शायी गयी ₹1.99 लाख की बकाया राशि के सम्बन्ध में वांछित अभिलेख सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि HP Sate Electricity Board Ltd. द्वारा उप-मंडल, बद्दी से संबंधित निम्न तालिका में दर्शाए गये बिजली के बिल में ₹199315.76 की बकाया राशि को भी सम्मिलित किया गया था जिसे तदनुसार ही मंडल कार्यालय द्वारा पूर्ण रूप से अदा कर दिया गया।

Sr. No.	Voucher No. with date and Amount (₹)	Bill No. with date & period of bill	Consumer id	Amount (₹)	Amount of arrears (₹)
Sub-division-Baddi					
1.	150 dated 28.03.23 for Rs. 2,82,247	110000624118 dated 22.03.23 (23.01.23 to 22.02.23)	200006000280	248304	199315.76

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 23.10.2023 द्वारा इस सम्बन्ध में अभिलेख सहित स्पष्टीकरण माँगा गया था ताकि पूर्व में न भुगतान किये गये प्रसंगों की पुष्टि कर बकाया राशि की सत्यापना संभव हो सके, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप HP Sate Electricity Board Ltd. द्वारा उप-मंडल, बद्दी के विरुद्ध इस बकाया राशि के दावे बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति वांछित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाये।

20 संस्थापना व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ :-

(1) श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद पर नियुक्ति उपरान्त नियमितिकरण पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹3.38 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना :-

हिमूडा मण्डल परवाणू के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ सहायक (आई.टी.) को उनकी नियमितिकरण पर भारतीय सेना में दी गई सेवाओं अवधि 03.07.1999 से 31.07.2016 के दृष्टिगत 17 वेतन अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारण किया गया था जबकि हि0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/दिशा-निर्देशों PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)"., besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para: 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled". के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान पर नियमित किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि first Civil appointment में नियमितिकरण पर अनुमोदित सैन्य सेवाओं में न्यूनतम आयु व शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिगत ही सैन्य सेवाओं की अवधि को first Civil appointment में वेतन निर्धारण के लिये स्वीकृत/मान्य किया गया है परन्तु निम्न प्रकरण में सैन्य सेवाओं के उपरान्त आई.टी. की शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त किया गया था जबकि वेतन निर्धारण के लिये सैन्य सेवाओं के अनुरूप 17 अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिस कारण श्री प्रमोद सिंह, कनिष्ठ कार्यालय सहायक को दिनांक 31.08.2023 तक ₹338052/- का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया था।

Name of employee: Sh. Parmod Singh, JOA (IT) (Ex. NK Parmod Singh) Army No. 3999709F										
DOJ:- On Contract 07-08-2018 (F/N), Regular on 12-10-2021 (F/N)					Date of Retd:- 22-12-2038			Date of Birth 22-12-1980		
Contractual appointment vide CEO-Cum-Secretary, HIMUDA Shimla-2 Office Order No. HIMUDA-5-547-/2016-Admin.Vol.II-15872-82, Dated 26-07-2018	Pay Drawn	Pay Due	Basic Pay	Regularised vide CEO-Cum-Secretary, HIMUDA Shimla-2 Office Order No. HIMUDA-5-547-/2019-Admin.Vol.II-11937-48, Dated 11-10-2021. (Army service 17 years 22 days i.e. 03-07-1999 to 31-07-2016)						
As the Diploma in Computer Application was completed from August, 2016 to July 2017 and Issued on 28-07-2017, Hence the diploma/qualification of IT was obtained after the completion of service in army. As per the H.P. Govt. Notification No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)", besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled".										
Period	Basic Pay	DA	HRA	Total	Pay	DA	HRA	Total	Diff	Total Excess Payment (₹)
	DRAWN				Due					
12-10-2021 to 31-10-2021 (20 days)	20710 (@ 32100)	6420 (@ 31%)	226 (@ 350)	27356	13677 (@ 21200)	4240	161 (@ 250)	18078	9278	9278
01-11-2021 to 31-12-2021 (2 months)	32100	9951 (@ 31%)	350	42401	21200	6572	250	28022	14379	28758
1-1-2022 to 30.09-2022 (9 months)	32100	10914 (@ 34%)	350	43364	21200	7208	250	28658	14706	132354
01.10.22 to 31.08.23 (11 months)	33100	11254 (@ 34%)	350	44704	21800	7412	250	29462	15242	167662
									Total	338052

उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 26.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा इस संबंध में मामला हिमुडा मुख्यालय के माध्यम से उठा कर इस वर्णित अनियमितता/अधिक भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था | तदोपरांत संस्था द्वारा इस संबंध में मामला पत्र संख्या **HIMUDA/PD/CB/PF-Parmod Singh,JOA/2023-5035-37** दिनांक **31-10-2023** द्वारा हिमुडा मुख्यालय से उठाये जाने बारे सूचित किया गया | अतः अब इस संबंध में नियमानुसार अंतिम कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(2) श्री दीवन चंद, पलम्बर पाईप फिटिंग के वेतन निर्धारण में पाई गयी त्रुटी :-

अंकेक्षण के दौरान श्री दीवान चंद, पलम्बर पाईप फिटिंग के वेतन निर्धारण प्रसंग जो कि हिमुडा मुख्यालय द्वारा पृष्ठांकन संख्या HIMUDA:3-1355/08 Admn 326 dated 18.05.2022 द्वारा जारी किया गया था, में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार आंशिक त्रुटी पाई गई है जिसमे आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि उन्हें भविष्य में संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के रूप में होने वाले अधिक अनियमित भुगतान से बचा जा सके :

Date	Pay Band & corresponding Level of the incumbent	Pay fixed (₹)	Pay due (₹)	Difference (₹)	Remarks
01.02.2017	₹4900-10680 + ₹1650 GP, Level-1, ₹ 4900-10680 + ₹1900 GP, Level-3	22100	22100	Nil	He was promoted on 08.07.2017 from a Level 1 post to Level 3 post and as such his pay was required to be fixed at the stage next above in Level 3 i.e. on promotion on 08.07.2017 at ₹22700 as per Rule 8(IV) (a) of HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 instead of at ₹23400 since the employee had opted to get his pay fixed from the date of accrual of increment on the lower post. Moreover, no benefit was due as on 08.02.2017.
08.02.2017		22800	22100	700	
08.07.2017		23400	22700	700	
01.02.2018		24100	24100	Nil	

(3) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त/तथा तत्पश्चात एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा मण्डल परवाणू के

अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी हेतु हिमुडा मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिस कारण इन कर्मचारियों को किये गये भुगतान की/सेवा अभिलेख की लेखा परीक्षा/पुष्टि नहीं की जा सकी:-

S.N.	Name of Employee	Designation	Date of Retirement
1	Sh. Pritam Chand	Pump Operator	31.05.2022
2	Sh. Ram Lal	Chowkidar	31.10.2022
3	Sh. Sukhdev Singh	Junior Engineer	30.06.2023
4	Sh. Naresh Kumar	HDM	31.08.2023
5	Sh. Rohini Chand	Senior Assistant	30.09.2023

अतः उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किये गये भुगतान की सत्यापना सुनिश्चित की जा सके।

(4) श्री राजेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता द्वारा उनको आबंटित मकान को उनके द्वारा परवाणू से स्थानांतरण उपरांत 4 महीने तक खाली न करने पर भी साधारण दर से लाइसेंस शुल्क वसूली करने के कारण वेतन के रूप में ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता ने शिमला मंडल को स्थानांतरण उपरांत दिनांक 30.05.2022 को अपना कार्यभार छोड़ दिया, परन्तु उन्होंने उनको आबंटित संस्थागत आवास दिनांक 30.09.2022 को खाली किया। इस प्रकार उन्होंने आबंटित आवास 4 महीने तक खाली नहीं किया जबकि Himachal Pradesh Allotment of Government Residence (General Pool) Rules, 2020 as amended vide Notification No. **GAD-D-7(G)1-12/81-IV Dated 1.1.2021** issued by General Administration Department (Section-D) के Rule 10(2) के प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण उपरान्त संस्थागत आवास को खाली न करने पर केवल 2 मास तक ही साधारण दर से लाइसेंस शुल्क की कटौती की सुविधा उपलब्ध है जबकि तत्पश्चात आगामी 3 मास तक साधारण दर से 6 गुणा लाइसेंस शुल्क की कटौती का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को अधिशासी अभियंता, शिमला मंडल के पत्र संख्या **HIMUDA/SD/A-21/2023-24-3769 dated 23.09.2023** द्वारा सूचित क्या गया कि उनसे इस संबंध में शिमला मंडल स्तर पर 4 मास की अवधि 31.05.2022 से 30.09.2022 हेतु उनके वेतन से ₹898 प्रतिमास की साधारण दर से ₹3592 की वसूली ही की गई है जबकि उन्हें इस दौरान शिमला में आवास आबंटित नहीं था। इस प्रकार निम्न तालिका में दर्शायी गई गणना अनुसार उनसे ₹8980 की राशि कम वसूल की गई है।

Name & Designation , Type of Accommodation	Date of relieving	Date of vacation of allotted accommodation	Period of retention	Licence Fees Due @	Total Licence Fees Due
Shri Rajesh Thakur, the then Executive Engineer Type-IV	30.05.2022	30.09.2022	4 months	@ 898 for 2 months	1796
				@ 5388 (6 times of ₹898) for next two months	10776
				Total	12572
Less : Amount recovered as intimated vide letter No. HIMUDA/SD/A-21/2023-24-3769 dated 23.09.2023 from Executive Engineer, HIMUDA Division, Shimla					3592
Amount now recoverable					8980

उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में उक्त के अतिरिक्त कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित कटौती को न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि की गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना नहीं की जा सकी।

Rocord not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees	
1	Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1))
2	Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12)).
3	Option for medical re-imbusement not obtained (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 10-09-2012)
4	HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin(C)B(7)-36/77 dated 02-08-1983 & Fin(C)B(7)1/12 dated 28-02-2012).

5	Assests and Liability return not obtained. (As per the instruction of the Personnel Deptt. Govt. of H.P. letter No. Per(A-B)-A(3)6/2012 dated 13-09-2012 & 14-07-2021 and Under the provisions of Sub-Rule (i) of Rule 18 of the Central Civil Service (Conduct) Rule, 1964.
---	--

अतः कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक/ स्टोर से संबंधित अनियमितताएं

(1) ऊना उपमंडल के अधीन 17.59 क्विंटल सरिये मूल्य 0.81 लाख का स्टोर में गत 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपयुक्त दर्शाया जाना :

अंकेक्षण के दौरान स्टोर से संबंधित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि उप-मंडल, ऊना के अधीन भंडार गृह के अंतर्गत बिन कार्ड में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार 17.59 क्विंटल सरिया मूल्य ₹80980.06 गत कई 3 वर्षों से अधिक अवधि से अनुपयुक्त दर्शाया गया है जबकि इस अवधि में उप-मंडल स्तर पर कई निर्माण कार्य जारी थे। वहीं दूसरी ओर भंडार अभिलेख अनुसार दिनांक 08.05.2021 को ऊना उप-मंडल से सरिये के स्टॉक की एक बड़ी मात्रा परवानू उप-मंडल को हस्तांतरित कर दी गयी थी। ऐसे में सरिये की उक्त मात्रा को न तो हस्तांतरित करना तथा न ही कई वर्षों तक प्रयोग में लाने से सरिये की उक्त मात्रा की वास्तविक उपलब्धता ही संदिग्ध प्रतीत होती है।

Dia of Tor steel	Date of receipt in store as per Bin Card	Quantity in Quintals	Rate (₹)	Value (in ₹)	Period for which lying unused
10mm	26.10.2020	3.69	5564	20531.16	2Years 5Months
16mm	25.06.2020/ 26.10.2020	4.71 7.39	4177	50541.70	3Years 4Months 3Years
		12.10			
20mm	26.10.2020	1.80	5504	9907.20	3Years
	Total	17.59		80980.06	

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लायी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब उक्त स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए इसे इतने अन्तराल तक प्रयोग न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

(2) परवाणू उप-मंडल के अधीन दिनांक 31.03.2023 को 12mm स्टील के स्टॉक को मंडल कार्यालय द्वारा समायोजन वाउचर के माध्यम से ₹0.12 लाख की राशि से अधिक लेखांकित करना :

अंकेक्षण के दौरान समायोजन वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा Journal Voucher No. 19 of March, 2023 के माध्यम से परवाणू उपमंडल का दिनांक 31.03.2023 को TMT 12 MM स्टील का स्टॉक 55.77 Qtls दर्शाया गया था जबकि बिन कार्ड अनुसार उक्त सरिया की 53.97 Qtls मात्रा ही भंडार में शेष थी। इस प्रकार मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में गणना अनुसार अन्तं स्टॉक का मूल्य ₹12038.40 से लेखों में अधिक दर्शाया गया था। अतः मंडल के लेखे सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते।

Dia of Tor steel	Quantity in Quintals as per Voucher	Quantity in Quintals as per Bin Card	Difference	Rate	Value (in ₹)
12mm	55.77	53.97	1.80	6688	12038.40

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 16.10.2023 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा लेखों में आवश्यक सुधार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 संविदाकार को कार्य समाप्त करने की तिथि से छह माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही प्रतिभूति राशि का अनियमित भुगतान ₹0.39 लाख

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार श्री सुरजीत सिंह ठाकुर, संविदाकार को उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्य को पूर्ण करने की तिथि से 6 मास की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि वापिस कर दी गयी जो कि अनियमित है।

Name of work and Name of Contractor	Date of completion of Work	Date of release of Security Vr. No. With date	Amount (₹)	MB No. involved a/w Page No.
A/R & M/o WSS Parwanoo, SH: P/L MESW Pipe 250 MM Dia pipe which is washed at the time of Flood & one No. New Line from in tank to Chamber Rain Water Tank, Kamli Sh. Surjeet Singh Thakur	03.11.2022	22.03.2023 Vr. No. 128	8060 FDR +31106	2492 P-94-95
		Total	39166	

उपरोक्त बारे ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 30.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी इस संबंध में नियमों की अनुपालना नियमित रूप से सुनिश्चित करवाई जाये।

23 श्रीमती सपना, दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी को ₹700 का अधिक अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के भुगतान वाउचर संख्या 4 दिनांक 01.03.2023 (रोकड़ भी पृष्ठ संख्या 4) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्रीमती सपना, दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी को फ़रवरी, 2023 हेतु ₹350 प्रतिदिन की दर से ₹9800 (28x350) को भुगतान किया गया था जबकि वाउचर के साथ लगी उपस्थिति पंजी की प्रति के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने दिनांक 11.02.2023 व 28.02.2023 को उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज ही नहीं की थी। इस प्रकार उन्हें उक्त दो दिन का ₹700 (350 x 2) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 30.10.2023 द्वारा अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अथवा संबंधित से वसूली उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक-स्टोर स्थाई सम्पत्तियों व उपयोग योग्य/उपभोग्य स्टॉक तथा अनुपयोगी मर्दों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मर्दों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 17 दिनांक 20.10.2023 द्वारा स्टॉक/स्टोर के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता का कारण स्पष्ट करने के साथ-साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से

करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

25 Journal Book व Ledger में प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना।

चयनित माह में समायोजन वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मण्डल द्वारा संधारित Journal Book व Ledger की गई प्रविष्टियों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापन के अभाव में की गई प्रविष्टियों व दर्शाये गये शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

26 अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

(1) रख-रखाव प्रभार की आय ₹1.53 लाख की गणना से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान प्राप्ति से संबंधित अभिलेख की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में आबंटियों से ₹1,52,754 बतौर रख-रखाव प्रभार प्राप्त हुए थे, जो कि गत कई वर्षों से संबंधित थे तथा इस राशि में ब्याज की राशि भी सम्मिलित थी। अतः गणना की पुष्टि हेतु अंकेक्षण द्वारा ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 20.10.2023 द्वारा इस संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Sr. No.	Name of allottee a/w plot Number	Receipt No. with date	Amount (₹)	Break up of the amount received
1	Sh. Sanjay Gupta, Plot No. B- 27, Mandhala, Baddi	129188 dated 27.03.2023	121348	Maintenance Charges Rs. 69608, GST Rs. 10149 Interest Rs. 41591 (w.e.f. 09.01.12 to 31.03.23)
2	Sh. Inderjit Chopra,	129189 dated 27.03.2023	31406	Maintenance Charges Rs.30506, GST Rs. 900
		Total	152754	

अतः इस संबंध में वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) वाहन संख्या HP-51A-0024 की निर्धारित आउट टर्न दर ₹43.17 प्रति किलोमीटर के अनुमोदन एवं इसकी गणना से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना :

अंकेक्षण के दौरान सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु मंडल कार्यालय द्वारा वाहन संख्या HP-51A-0024 की आउट टर्न दर ₹43.17 प्रति किलोमीटर निर्धारित की गयी थी तथा तदनुसार ही इस वाहन से संबंधित खर्चे विभिन्न निर्माण कार्यों के व्यय में लेखंकित किये गये थे। उक्त दर की गणना की पुष्टि हेतु अंकेक्षण द्वारा ज्ञापन संख्या 18 दिनांक 20.10.2023 द्वारा इस संबंध में अभिलेख तथा इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत करने का अनुरोध भी किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस संबंध में वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) M/s JBR Environment Technology (Baddi) Pvt. Ltd, Baddi को बतौर Tipping Charges अदा की गयी राशि से संबंधी अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत न करना :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंडल कार्यालय द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार M/s JBR Environment Technology (Baddi) Pvt Ltd, Baddi को बतौर Tipping Charges ₹48000 का भुगतान किया गया था जिसकी लेखा परीक्षा के संबंध में ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 27.10.2023 द्वारा निविदाएं तथा अनुबंध उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने की तिथि तक भी वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया, परिणामस्वरूप इस संबंध में पूर्ण लेखा परीक्षा संभव न हो सकी। अतः अब इस संबंध में उक्त भुगतान की सत्यापना हेतु वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Sr. No.	Voucher No. with date	Bill No. with Date	Name of Firm	On account of	Amount (₹)
1.	102 dt. 16.3.23	187 dt. 09.01.2023	JBR Environment Technology (Baddi) Pvt Ltd, Baddi	Tipping Charges	48000

- 27 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
- 28 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(अनिल शर्मा)
संयुक्त-निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
फोन नं0-0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88-खण्ड-21-1486-1489 दिनांक 16.03.2024:
शिमला-9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
- 1 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-परवाणू, जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 को सूचनार्थ प्रेषित है।
 - 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
 - 4 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1(ख) के सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(अनिल शर्मा)
संयुक्त-निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
फोन नं0-0177-2620881

परिशिष्ट "1"

(अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित)

(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित पैरे			टिप्पणी
क	अवधि 1984-85	पैरा 19(एफ)	अनिर्णीत
(2) शिमला मण्डल-II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे			
(क) अंकेक्षण अवधि 4/1991 से 3/1992			
1	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
(3) निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे			
(क) अंकेक्षण अवधि 4/1995 से 3/1996			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2009			
1	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	
(घ) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014			
1	पैरा 14	अनिर्णीत	
2	पैरा 15	अनिर्णीत	
(ङ) अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015			
1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 16	अनिर्णीत	
3	पैरा 22	अनिर्णीत	
4	पैरा 26	अनिर्णीत	
(च) अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2016			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 27	अनिर्णीत	
(छ) अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2017			
1	पैरा 8(i)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 22	अनिर्णीत	
5	पैरा 23	अनिर्णीत	
6	पैरा 24	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण अवधि 4/2017 से 3/2018			
1	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 20(क) से (घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 23	अनिर्णीत	
4	पैरा 26	अनिर्णीत	
5	पैरा 27 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा 30	अनिर्णीत	
7	पैरा 32	अनिर्णीत	
8	पैरा 33	अनिर्णीत	
(झ) अंकेक्षण अवधि 4/2018 से 3/2019			
1	पैरा 10(क)(i)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 25	अनिर्णीत	
4	पैरा 28	अनिर्णीत	
5	पैरा 29	अनिर्णीत	
6	पैरा 30	अनिर्णीत	
7	पैरा 34 (i)(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 35	अनिर्णीत	
9	पैरा 36	अनिर्णीत	
10	पैरा 37	अनिर्णीत	
11	पैरा 38	अनिर्णीत	
12	पैरा 40	अनिर्णीत	
13	पैरा 41	अनिर्णीत	
14	पैरा 42	अनिर्णीत	
15	पैरा 48	अनिर्णीत	
16	पैरा 55	अनिर्णीत	
17	पैरा 57	अनिर्णीत	
18	पैरा 58	अनिर्णीत	
(ञ) अंकेक्षण अवधि 4/2019 से 3/2020			
1	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	अवधि 2020-22 तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत

3	पैरा 9 (ग से ड)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (ख से घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	निर्णीत	अवधि 2019–20 के प्रतिवेदन में निर्णीत पाया गया।
6	पैरा 14	निर्णीत	अवधि 2019–20 के प्रतिवेदन में निर्णीत पाया गया।
7	पैरा 16 (क)	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2595 के पृष्ठ संख्या 47 अनुसार ₹765 की वसूली के दृष्टिगत
8	पैरा 17	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2548 के पृष्ठ संख्या 99 अनुसार ₹1200 की वसूली के दृष्टिगत
9	पैरा 18	अनिर्णीत	
10	पैरा 23 (क)	निर्णीत	माप पुस्तिका संख्या 2485 के पृष्ठ संख्या 92 अनुसार ₹6836 की वसूली के दृष्टिगत
11	पैरा 27 (1 से 4) (6) व (7)	अनिर्णीत	
12	पैरा 28	अनिर्णीत	
13	पैरा 29 (i) (iii से (v)	अनिर्णीत	
14	पैरा 30 (i, ii) (iv व (v)	निर्णीत	उप पैरा (i) व (ii) के प्रसंग में मुख्य अभियन्ता (पी0एफ0एम व डब्ल्यू) हिमुडा, शिमला के कार्यालय से पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ DeviationsPWN/2022-Vol-II-417 दिनांक 10.03.2023 तथा उप पैरा (iv) व (v) के प्रसंग में पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1515-16 दिनांक 21.04.2023 व पत्र संख्या

			HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1896-99 दिनांक 27.04.2023 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के दृष्टिगत
15	पैरा 31 (i) (iii) से (vii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 35	निर्णीत	अवधि 2020-22 के प्रतिवेदन में पैरा संख्या 40 के रूप में तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
17	पैरा 36	निर्णीत	अवधि 2020-22 के प्रतिवेदन में पैरा संख्या 41 के रूप में तथा वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
18	पैरा 37	अनिर्णीत	
19	पैरा 38	निर्णीत	प्रस्तुत अनुपालना के दृष्टिगत
20	पैरा 39	अनिर्णीत	
21	पैरा 40	अनिर्णीत	
22	पैरा 42	अनिर्णीत	
23	पैरा 43	अनिर्णीत	
24	पैरा 44	अनिर्णीत	
25	पैरा 45	अनिर्णीत	
26	पैरा 46	अनिर्णीत	
27	पैरा 49	अनिर्णीत	
28	पैरा 50	अनिर्णीत	
29	पैरा 51	अनिर्णीत	

(ट) अवधि 01.04.2020 स 31.03.2022				
1	पैरा संख्या	उप पैरा संख्या		
2	4	क	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

3	4	ख	निर्णीत	ऑनलाइन प्राप्तियों में बढ़ौतरी तथा उप-मण्डल कार्यालय द्वारा मण्डल कार्यालय के बैंक खाते में अपनी स्थानीय शाखा में राशि जमा करवाने की प्रणाली लागू किये जाने के दृष्टिगत
4	5	क, ख	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
5	6		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
6	7		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
7	8		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
8	9	क, ख, ग	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
9	10	क	अनिर्णीत	
10	10	ख	अनिर्णीत	
11	10	ग	अनिर्णीत	
12	10	घ	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
13	10	ङ	निर्णीत	
14	11		अनिर्णीत	
15	12		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
16	13		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
17	14	क, ख, ग	निर्णीत	माप पुस्तिका 2582 के पृष्ठ 11 व 12 पर 13वें चलत बिल से की गई ₹49770 (11439.46 + 34061.40 +4268.86) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
18	15	क	निर्णीत	माप पुस्तिका 2507 के पृष्ठ 93 पर 6ठे चलत बिल से की गई ₹1316 वसूली की पुष्टि के उपरान्त
19	16	क, ख	निर्णीत	माप पुस्तिका 2556 के पृष्ठ 81 पर 16वें चलत बिल से की गई ₹47784 (32242 उप-पैरा (क) +15642 उप-पैरा (ख)) तथा माप पुस्तिका 2594 के पृष्ठ 12 पर

				17वें चलत बिल से की गई ₹21186 (उप-पैरा (ख)) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
20	17	क, ख, ग, घ, ङ	अनिर्णीत	
21	18	क, ख, ग	अनिर्णीत	
22	19	क, ख, ग, घ	निर्णीत	माप पुस्तिका 2425 के पृष्ठ 89 पर संविदाकार के अन्य कार्य 12 No.Type II Qtrs at Kishanpura के अन्तिम बिल से की गई ₹15525 (1890 (क) + 10557 (ख) + 560 (ग) + 2518 (घ)) की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
23	20	क, ख	अनिर्णीत	
24	21	क	निर्णीत	माप पुस्तिका 2485 के पृष्ठ 92 पर संविदाकार के अन्य कार्य महिला बैरक के तीसरे एवं अन्तिम बिल से की गई ₹30429 की वसूली की पुष्टि के उपरान्त
25	22	क	अनिर्णीत	
26	23	क, ख	अनिर्णीत	
27	24	क, ख	अनिर्णीत	
28	25	क, ख	अनिर्णीत	
29	26		अनिर्णीत	
30	27	क	अनिर्णीत	
31	28	क	अनिर्णीत	
32	29	(i, iii, v)	निर्णीत	उप पैरा (i) के प्रसंग में मुख्य अभियन्ता (पी0एफ0एम व डब्ल्यू) हिमुडा, शिमला के कार्यालय से पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ DeviationsPWN/2022-Vol-II-417 दिनांक 10.03.2023 तथा उप पैरा (iii) के

				प्रसंग में पत्र संख्या HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1515-16 दिनांक 21.04.2023 तथा उप पैरा (v) के प्रसंग में HIMUDA/DB/EI/SI/ Deviations/2023-Vol-II-1519-20 दिनांक 21.04.2023 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के दृष्टिगत
33	29	(ii व v)	अनिर्णीत	
34	30		अनिर्णीत	
35	31		अनिर्णीत	
36	32		अनिर्णीत	
37	33		अनिर्णीत	
38	34		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
39	35		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
40	36		अनिर्णीत	
41	37		अनिर्णीत	
42	38		अनिर्णीत	
43	39		अनिर्णीत	
44	40		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
45	41		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
46	42		अनिर्णीत	
47	43		अनिर्णीत	
48	44		अनिर्णीत	
49	45		अनिर्णीत	
50	46		अनिर्णीत	
51	47		अनिर्णीत	
52	48	क	अनिर्णीत	
53	48	ख	अनिर्णीत	
54	48	ग	निर्णीत	लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 120 पर दिनांक

				17.01.2023 को 8.35 कि०मी० प्रति लीटर की औसत निर्धारित किये जाने के दृष्टिगत
55	49		अनिर्णीत	
56	50	क	अनिर्णीत	
57	50	ख	अनिर्णीत	
58	50	ग	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
59	51		अनिर्णीत	
60	52	क, ख	अनिर्णीत	
61	53		अनिर्णीत	
62	54		निर्णीत	वित्त (विनियमन), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin-(c)B(7)-7/89 dated 04.02.1991, Fin (c)B(7)-7/89 dated 09.10.1991, Fin(c)B(7)-7/89 dated 28.01.1998 के अन्तर्गत प्रावधान के दृष्टिगत
63	55		अनिर्णीत	
64	56		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
65	57		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
66	58		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
67	59		निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित